RNI No. MAHBIL/2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक १७(२)] गुरुवार, जुलै १२, २०१८/आषाढ २१, शके १९४० [पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १२ जुलाई, २०१८ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :–

L. A. BILL No. XLIII OF 2018.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

विधानसभा का विधेयक क्र. ४३ सन् २०१८।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन १९६४ का महा. २२।

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१८, २९ जून २०१८ को प्रख्यापित हुआ था;

सन २०१८ का महा. अध्या. क्र. १९।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य कें उनहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१८ कहलाए।

(२) यह २९ जून २०१८ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया हैं) की धारा २ की, उप-धारा (१) के,— सन १९६४ का महा. २०।

(क) खण्ड (च-१ ख) के स्थान में, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

"(च-१ ख) "इलेक्ट्रॉनिक व्यापार" या "इ-व्यापार" का तात्पर्य, कृषि उपज का व्यापार जिसमें, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच पर रजिस्ट्रीकरण, नीलामी, रसीद तैयार करना, सुनिश्चिति करना, संविदा करना, मोल-तोल करना, सूचना का आदान-प्रदान करना, अभिलेख सुरक्षित करना और अन्य संबंधित क्रिया-कलाप किये जाने है, से हैं;

(च-१ ग) "इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच" या "इ-व्यापार मंच" का तात्पर्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या संसूचना के किन्हीं माध्यमों के जरिए, जिनमें रजिस्ट्रीकरण, खरीदना और बेचना, रसीद बनाना, सुनिश्चिति करना, संविदा करना और मोल-तोल करना, कम्प्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट या किन्ही अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए, ऑनलाईन कार्यान्वित किया जाता हैं, कृषि उपज का व्यापार संचालित करने के लिये, चाहे राज्य सरकार या सरकारी अभिकरण या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिप्राप्त व्यक्ति द्वारा स्थापित किये गये इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच से हैं ;";

(ख) खण्ड (च-१) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

"(च-२) "सरकारी अभिकरण" का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित अभिकरण, जिसमें, इस अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किये गये राज्य कृषि विपणन विभाग, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन और कृषि उपज बाजार समिति सम्मिलित हैं, से हैं ;";

(ग) खण्ड (चक) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

"(चख) "अनुज्ञप्ति" का तात्पर्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति से हैं और "अनुज्ञप्तिधारी का अर्थ तद्नुसार, लगाया जायेगा ;"।

सन् १९६४ का महा. २० में अध्याय एक-ख की निविष्टि।

३. अध्याय एक-ग के पश्चात्, निम्न अध्याय, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"अध्याय एक-घ

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के जरिए विपणन

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच की स्थापना।

५-च. (१) राज्य सरकार या अधिसूचित किये गये सरकारी अभिकरण से अन्य कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन, अनुज्ञप्ति धारण किये बिना, कृषि उपज के व्यापार के लिये कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच स्थापित नहीं करेगा या नहीं चलाएगा।

(२) उप-धारा (१) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार या अधिसूचित किया गया सरकारी अभिकरण, विहित किया जाये ऐसी रित्या में, कृषि उपज में व्यापार करने के लिये ई-व्यापार मंच स्थापित कर सकेगा या चला सकेगा।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच की स्थापना करने के लिये अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण।

५-छ. (१) धारा ५ (च) के अधीन, इ-व्यापार मंच स्थापित करने में आशयित कोई व्यक्ति, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसी फीस, अभिरक्षा या बँक गारंटी और ऐसी शर्तो को पूरा करने के साथ, ऐसे प्ररुप और रित्या में आवेदन करेगा।

(२) अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिये उप-धारा (१) के अधीन प्राप्त आवेदन, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित में अभिलिखित कारणों द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा :

परंतु, इस धारा के अधीन प्राप्त आवेदन, धारा ५-घ की उप-धारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन निजी बाजार के संबंध में अधिकथित कारणों के लिये, **यथावश्यक परिवर्तन समेत,** कारणों पर अस्वीकृत किये जाने के लिये दायी होगा।

(३) व्यक्ति या राज्य सरकार या, यथास्थिति, सरकारी अभिकरण द्वारा प्रबंधित और कार्यान्वित इ-व्यापार मंच, विहित किये जाये ऐसी सभी आधारभूत संरचनाएं और सेवाएं मुहैय्या करेगा।

(४) अनुज्ञप्तिधारी या उसका अभिकरण, मुहैय्या की गई सेवाओं पर उपभोक्ता प्रभार संग्रहित कर सकेगा, जो उसकी वेबसाईटपर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा :

परंतु, सरकार, लोक हित में, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, समय-समय से, उपभोक्ता प्रभार के दर पर अन्तिम सीमा लगायेगी।

इ-मंच में धारा ५(छ) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी का समाकलन।

५-ज. धारा ५ (छ) के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी, भारत सरकार के इ-मंच से अनुबंध के लिये आशयित हैं, संबंधित सरकार या सरकारी अभिकरणों के जरिए, विहित किये जाये ऐसे प्ररुप और रीति में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को आवेदन कर सकेगा।

इ-व्यापार मंचों का आंतरसंचालन।

५-झ. एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार को विकसित करने और विभिन्न इ-व्यापार मंचो कों समाहित करने के क्रम में, ई-व्यापार मंच में विभिन्न सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन निदेशक या उसके लिये पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित विवरणों और प्रमाणकों के अनुसार, अन्य इ-व्यापार मंचों के साथ आंतर-संचालित होनी चाहिए।

विक्रेता को भुगतान और लेखों का रखरखाव।

५-ञ. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच पर व्यापार किये गये कृषि उपज का भुगतान, सही समय आधार पर, विक्रेता को विक्री अंतरण के उसी दिन या यदि प्रक्रिया संबंधी ऐसा आवश्यक हो, अधिकतम दूसरे दिन किया जायेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पर प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं में, विक्रेता को, नियमों द्वारा यथा विहित रित्या में भुगतान किया जायेगा।

(२) अनुज्ञप्तिधारी या, यथास्थिति, कृषि उपज बाजार समिति, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच पर किये गये सभी अंतरणों के लेखे का रखरखाव करेगा और समय-समय से, विपणन निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे समय पर और ऐसी रित्या में, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड या प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसे कालिक रिपोर्ट और मुनाफा प्रस्तुत करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच की अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण।

५-ट. निदेशक, धारा ५(छ) के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति, अभिलिखित किये जानेवाले कारणों के लिये, निलंबित या रद्द कर सकेगा। अधिनियम के किन्ही उपबंध या नियमों या उप-विधि अनुदेश, आदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन आदेश में विनिर्दिष्ट होगा :

परंतु, अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के लिये कोई भी आदेश, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, मंजूर नहीं होगा।

विवाद का निपटान।

५-ठ. इ-व्यापार मंच के अनुज्ञप्तिधारियों के बीच या उनमें या अनुज्ञप्तिधारियो और कृषि उपज बाजार समिति या सरकारी अभिकरणों के बीच या उनमें उदभूत कोई वाद, पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, तीस दिनों के भीतर, संक्षिप्त रित्या में, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निपटाया जायेगा।

ई-व्यापार मंच के लिये धारा ५ घ के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के दायित्व।

५ ङ. इ-व्यापार मंच पर इ-व्यापार करने के दौरान, धारा ५घ के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के निम्न, दायित्वों के अधीन होगा,—

(क) कृषि उपज का अंतरण होने के पूर्व, उसकी गुणवत्ता की परख करना,

(ख) व्यापारियों और आढतियों के हस्तक्षेप के बिना, उचित और पारदर्शक रित्या में उपज की किमत वसूल करने के लिये निलामी या कोई अन्य माध्यम कार्यान्वित करना,

(ग) सही समय आधार पर सभी अंतरणों के अभिलेख का रखरखाव करना और महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ॲग्रिमार्क नेट या समतुल्य के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर, निदेशक द्वारा विहित प्ररुप में सही समय आधार पर, बाजार की सूचना प्रदर्शित करना,

(घ) आवेदन किये गये दिनांक से संख्येय के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों द्वारा विहित समयसीमा के भीतर, बिना भेदभाव किये या बिना पक्ष लिये, इ-व्यापार के लिये सभी पात्र व्यापारियों को अनुज्ञप्ति जारी करना,

(ड़) कृषकों की आवश्यकताँए पूरी करने के लिये सफाई करने, वर्गीकरण करने और गोदामों (सूखा और शीत भण्डारण) की सुविधा मुहैय्या करना,

(च) आवश्यकता से अधिक व्यापार करने के लिये अनुमत नहीं होगा ।"।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ७ की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोडी जायेगी, अर्थात् :-

"(४)(क) इस धारा की उप-धारा (१), (२) और (३) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच पर व्यापार करने के लिए इच्छुक है तो, इस निमित्त विहित किया जाए ऐसे प्राधिकारी से व्यापार के रुप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऑन लाईन और जैसा कि विहित किया जाए ऐसे रीत्या किया जायेगा।

(ग) रजिस्ट्रीकरण का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे प्ररुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(घ) इस उप-धारा के खण्ड (क) से (ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी लिखित में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों के लिए किसी व्यक्ति को व्यापार करने के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने या नवीकरण करने के लिए अस्वीकृत करता है, जो उसकी राय में ऑनलाईन व्यापार करने के लिए अवधारण की रीति में कार्य किया है या, यदि व्यक्ति किसी वैध कारणों के बिना छह महीने से अधिक के लिए व्यापार नहीं करता है, या बैंक से गतिशील नकद क्रेडिट सीमा समाप्त हो गयी है या विक्रेता, क्रेता, कमीशन एजेंट, पर्यवेक्षण लागत, बाजार फीस और अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के अधीन कोई अन्य भुगतान के ऑन लाईन भुगतान में असफल हुआ है। यदि कोई, आवेदक का रजिस्ट्रीकरण दिया गया या नवीकृत नहीं किया गया है तो उसके समान कारणों को देकर सूचित करेगा और रजिस्ट्रीकरण फीस यदि अदा की है तो बाजार निधि या, यथास्थिति, राज्य सरकार को समपहृत करेगा।

(ङ) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जिस व्यक्ति के नाम में जारी किया गया है के लिए वैध होगा और वह अन्तरित नहीं होगा।

(च) यदि,—

(एक) निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता और मूल्य खोज के लिए किसी भी नियम का उल्लंघन; या

(दो) धोखाधडी के माध्यम से उपलब्ध नकदी क्रेडिट सीमा के उपर व्यापार करने पर; या

(तीन) अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के अधीन वस्तु व्यापार और अन्य भुगतान के लिए वास्तविक समय के आधार पर, ऑनलाईन भुगतान करने से इनकार करना या धोखा देता है तो, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र स्वचलित निलंबन या रद्दकरण के लिए दायी होगा।

(छ) इस प्रकार दिया गया या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र देने या नवीकृत करने के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त होगा।

(ज) इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच ही प्रत्येक बाजार समिति और निजी बाजार, बाजार में व्यापार मंच के उपयोग के लिए व्यापारियों के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रीकरण के सभी प्रमाणपत्रों की सूची प्रकाशित करेगी।"।

५. मूल अधिनियम की धारा ४६ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६४ का महा. २० की धारा ४६ क की निविष्टि।

"४६ क. किसी कृषि उपज के विपणन के लिए इ-व्यापार मंच का उपयोग धारा ५ छ के उपबंधों का जो कोई भी उल्लंघन करता है या वैध लाईसेंस के बिना, व्यापारी या किसी अन्य क्षमता के रुप में कार्य करता है तो, दोषसिध्दि पर, ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा जिसे छह महिने तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपयों से कम न होगा, जिसे एक लाख रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा; और अधिकतर जुर्माने के साथ जारी उल्लंघन के मामले में, धारा ५ छ के उल्लंघन के मामले में, पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा; और किसी अन्य मामले में, प्रथम दोषसिध्दि के पश्चात्, ऐसा उल्लंघन जारी रहने के दौरान प्रति दिन तीन सौ रुपयों से दण्डित किया जायेगा।"। इ-व्यापार संबंधित उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

६. मूल अधिनियम की धारा ६० की उप-धारा (२) के ,— सन् १९६४ का महा. २० की धारा ६० में संशोधन।

(क) खण्ड (क-२) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(क-३) धारा ५ च के अधीन राज्य सरकार या सरकारी एजेंसी कृषि उपज के व्यापार के लिए जिस रीति से इ-व्यापार मंच चलाया जायेगा या स्थापित किया जायेगा वह रीति विहित करना;

(क-४) धारा ५ छ के अधीन,—

(एक) फीस, सुरक्षा या बैंक गारंटी और इ-व्यापार मंच स्थापित करने और चलाने के लिए लाईसेंस लागू करने के लिए, शर्तों के साथ-साथ और उसके नविकरण के लिए, प्ररुप और रीति विहित करना;

(दो) इ-व्यापार के प्रयोजनों के लिए इ-व्यापार से संबंधित मूलभूत सुविधा और सेवाएँ देने के लिए वह सुविधा और सेवा विहित करना;

(क-५) धारा ५ ज के अधीन, भारत सरकार के इ-मंच से जुड़ने के लिए लाईसेंस धारक के समन्वयन के लिए, प्ररुप और रीति विहित करना;

(क-६) धारा ५ ञ के अधीन, इ-व्यापार मंच और लेखाओं के रखरखाव पर व्यापार किये क्रेता को भूगतान करने की रीति विहित करना।";

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्न खण्ड़, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ख-१) धारा ७ की उप-धारा (४) के अधीन प्राधिकारी विहित करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच पर व्यापार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण का ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्ररुप, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्ररुप, विहित करना;"।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

७. (१) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती हैं तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों से अन्‌असंगत ऐसी बात कर सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१८ का महा. अध्या. १९ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

८. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१८, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१८ का महा. अध्या. क्र. १९।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०), बाजार क्षेत्रों में कृषक और कतिपय अन्य उपज के विपणन और राज्य में उसके लिए स्थापित निजी बाजारों और किसान उपभोक्ता बाजारों समेत, बाजारों के विकास और विनियमन करने और ऐसे बाजारों के संबंध में या बाजारों से संबंधित प्रयोजनों के लिए कार्य करने के लिए गठित की जानेवाली बाजार समितियों को शक्तियाँ प्रदान करने के लिए और बाजार समिति के प्रयोजनों के लिए, बाजार निधि स्थापित करने और उपरोक्त मामलों से संबंधित प्रयोजनों के लिए, उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. किसानों को उनके कृषि उपज के विक्रय के लिए और उसके बदले में उचित और युक्तियुक्त कीमत प्राप्त करने के लिए एक मंच के रुप में कृषि उपज विपणन समिति गठित की गई है। प्रस्तावित संशोधनों की प्रस्तावना से किसान जो बाजार समिति के आधार स्तंभ है और कृषि उपज के विपणन में रुकावटें और कठिनाईयों का ज्ञान हो तो किसानों को प्रतियोगिता का अधिकाधिक लाभ मिलेगा।

३. केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के कृषि उपज के लिए बेहतर कीमत मिलने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्र और राज्य सरकार, कृषि उपज विपणन समिति में कृषि उपज के व्यापार में उद्भूत रुकावटें न्यूनतम करने के लिए राज्य की ६० कृषि उपज बाजार समितियों में इ-नाम योजना कार्यान्वित कर रही है और किसानों को उनके कृषि उपज के लिए बेहतर कीमत मिलने के लिए कृषि उपज व्यापार के लिए ऑन लॉईन प्रणाली कार्यान्वित कर रही है। इन प्रयोजनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच के व्यापारियों के लिए लाईसेंस देना आवश्यक है, ताकि, किसानों को वास्तविक समय आधार भुगतान सुनिश्चित हो सके। अतः, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) में संशोधन करना प्रस्तावित था।

४. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हे, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा २९ जून, २०१८ को महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (सन् २०१८ का महा. अध्या. क्र. १९) प्रख्यापित किया गया था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना हैं।

नागपुर : **सुभाष देशमुख,**

दिनांकित ९ जुलाई, २०१८। विपणन मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड २. —इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, में की धारा २ की उप-धारा (१) में संशोधन करना हैं, जिसमें, राज्य सरकार को,—

(क) नये खण्ड (च-१ ग) के अधीन, प्राधिकरण, जो इलेक्ट्रानिक व्यापार मंच विनियमित करके अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(ख) नये खण्ड (च-२) के अधीन, अभिकरण जो उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिये सरकारी अभिकरण होगा, अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

खण्ड ३. —इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय, उक्त अधिनियम में नया अध्याय १-घ निविष्ट करना हैं, जिसमें, राज्य सरकार को,—

(क) नयी धारा ५ च,—

(एक) उसकी उप-धारा (१) में, अभिकरण, जो कृषि उपज में व्यापार करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच स्थापित करने या चलाने के लिये सक्षम होगा, को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(दो) उसकी उप-धारा (२) में, नियमों द्वारा, रीति, जिसमें राज्य सरकार या सरकारी अभिकरण, कृषि उपज में व्यापार करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच स्थापित कर सकेगी या चला सकेगी, विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(ख) नया धारा ५ च में,—

(एक) उसकी उप-धारा (१) में, नियमों द्वारा, इ-व्यापार मंच स्थापित करने के लिये आवेदन करने का प्ररुप और रीति और फीस, अभिसुरक्षा या बैंक गारंटी और उसके लिये आवश्यक शर्तें विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(दो) उसकी धारा (३) में, नियमों द्वारा, इ-व्यापार मंच के प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिये, व्यक्ति, राज्य सरकार या, यथास्थिति, सरकारी अभिकरणों द्वारा उपबंधित की जानेवाली इ-व्यापार से संबंधित आधारभूत संस्चनाँएँ और सेवाओं को विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(चार) उसमें की उप-धारा (४) के परंतुक में, लोक-हित में, समय-समय से, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, उपभोक्ता प्रभार के दर की अधिकतम सीमा प्रस्तुत करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(घ) नयी धारा ५ ज की, उप-धारा (१) में, नियमों द्वारा, भारत सरकार के इ-मंच से अनुबंध के लिये, राज्य सरकार या संबंधित सरकारी अभिकरणों के जरिए, धारा ५ छ के अधीन अनुज्ञाप्ति के लिये आवेदन करने का प्ररुप और रीति, विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(ङ) नयी धारा ५ झ की, उप-धारा (१) में, रीति जिसमें, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की प्रक्रिया-संबंधी आवश्यकताओं में विक्रेता को किये जानेवाले भुगतान की रीति, नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है ;

(च) नयी धारा ५ त्र की, खण्ड (घ) में, नियमें द्वारा, समय-सीमा जिसमें, इ-व्यापार के लिये पात्र व्यापार को व्यापार अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी, विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

खण्ड ४. —इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय, अधिनियम की धारा ७ में उप-धारा (४) जोडना हैं—

(क) उसके परिच्छेद (क) में, नियमों द्वारा, प्राधिकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच पर व्यापार करने के लिये व्यापारी के रुप में, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र मंजूर करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(ख) उसके परिच्छेद (ख) में, नियमों द्वारा, रीति, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिये ऑनलाईन आवेदन किया जाये, विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(ग) उसके परिच्छेद (ग) में, नियमों द्वारा सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकरण का प्ररुप विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

खण्ड ६. —इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय, अधिनियम की धारा ६० की उप-धारा (२) में संशोधन करना हैं, राज्य सरकार को,——

(क) नये खण्ड (क-३) में, धारा ५ च के अधीन, रीति, जिसमें राज्य सरकार या सरकारी अभिकरण कृषि उपज में व्यापार करने के लिये इ-व्यापार मंच की स्थापना करने या चला सकेगा, विहित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(ख) नये खण्ड (क-४) में,—

(एक) धारा ५ छ में, इ-व्यापार मंच स्थापित करने या चलाने या उसके नवीकरण के लिये आवेदन करने के लिये फीस, अभिरक्षा या बैंक गांरटी और शर्तों के साथ प्ररुप और रीति विहित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(दो) धारा ५ च में, इ-व्यापार से संबंधित आधारभूत संरचना और सेवाँए जो इ-व्यापार के प्रयोजनों के लिये मुहैय्या की जायेंगी, विहित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(तीन) नये खण्ड (क-५) में, धारा ५ ज के अधीन, भारत सरकार के इ-मंच से अनुबंध के लिये अनुज्ञप्ति धारक के समाकलन के लिये प्ररुप और रीति, विहित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(चार) नये खण्ड (क-६) में, धारा ५ झ में, इ-व्यापार मंच पर व्यापार करनेवाले विक्रेता को भुगतान करने और लेखों के रखरखाव की रीति विहित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(पांच) नये खण्ड (ख-१), धारा ७ की उप-धारा (४) के अधीन, प्राधिकरण जो, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच पर व्यापार करने के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर करेगा, रजिस्ट्रीकरण के ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये ऑनलाईन आवेदन का प्ररुप, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्ररुप विहित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

खण्ड ७. —इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, प्रस्तावित विधि द्वारा यथासंशोधित, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उदभूत होनेवाली कठिनाईयों का, संशोधित अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर निराकरण करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

२. विधायी शक्ति के प्रयोजन के लिये उपरोलिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के हैं।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
नागपूर,
दिनांकित १२ जुलाई, २०१८।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.